कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

8 नवम्बर NOV 2011

संख्या समन्वय / 40 (1) 2011 / दावा निपटान / 14927 दिनांक 8 नवम्बर NOV 2

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रों के प्रभारी)
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- ई -रिटर्न भरने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 में संशोधन -के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्द्वारा संलग्न श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र सं. एस-35012/03/11एसएस-II दिनांक 18.अगस्त, 2011 की प्रति के साथ भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस ओ 1809 (इ) दिनांक 05.08.2011 तथा एस ओ 1810 दिनांक 05.08.2011 का सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवलोकन करें ।

अनुलग्नक:यथोपरि

भवदीया,

अनिता 8.XI.11

(अनिता एस. दीक्षित)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I (समन्वय)

प्रतिलिपि अनुलग्नक: सहित:-

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी /वित्तीय सलाहाकर एवं मुख्य लेखाधिकारी / सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)
2. निदेशक , नाटरस
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ,मुख्यालय
4. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
5. सभी आंचलिक सतर्कता निदेशालय
6. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा पार्टियां
7. मुख्यालय के सभी सहायक भविष्य निधि आयुक्त / अनुभाग अधिकारी
8. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी
9. महासचिव क.भ.नि. स्टॉफ फेडरेशन मुख्यालय
10. महासचिव, क.भ.नि. स्टॉफ यूनियन, मुख्यालय
11. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद
12. क्षे. भ.नि.आ., एन डी सी को वेब पर अपलोड करने हेतु ।
13. के.भ.नि.आ.के निजी सचिव

अनिता 8.XI.11

(अनिता एस. दीक्षित)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I (समन्वय)

No.S-35012/03/11.SS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 18th August, 2011

To

The Central Provident Fund Commissioner,
Employees' Provident Fund Organisation,
Bhavishya Nidhi Bhawan,
Bhikai ji Cama Place,
New Delhi.

Subject:-Amendment in Employees' Pension Scheme, 1995 and in Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 for submission of E-returns.

Sir,

I am directed to forward herewith copies of the notifications published in the Gazette of India having numbers S.O.1809 (E) dated 5.8.2011 and S.O.1810 dated 5.8.2011 on the subject mentioned above.

Yours faithfully

Encl: As above.

(S.K.Brahmo)
Section Officer

23 AUG 2011
67775
24/8/11

(Pension)
9121
Date. 25/8/11

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1515] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2011/श्रावण 14, 1933
No. 1515] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2011/SRAVANA 14, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

का.आ. 1809(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2011 के नाम से जाना जाएगा।

2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी ।

3. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में,—

(i) पैराग्राफ 20 में, उप-पैराग्राफ (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) प्रत्येक नियोजक, आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित तरीके और विधि में, आयुक्त को उप-पैराग्राफ (1) और (2) में उल्लिखित विवरण का एक इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट भेजेगा ।";

(ii) पैराग्राफ 39क में, "प्रपत्र-1 में आयुक्त" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—

"और ऐसी विवरणी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित तरीके और विधि में इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में भी प्रस्तुत की जाएगी।"

[फा. सं. एस-35012/03/11-एस एस-II]

रवि माथुर, अपर सचिव

पाद टिप्पण :—कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इस स्कीम में अंतिम संशोधन सा.का.नि. 149, दिनांक 3 सितम्बर, 2010 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2011

S.O. 1809(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2011.

2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. In the Employees' Pension Scheme, 1995,—

(i) in paragraph 20, after sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(5) Every employer shall send to the Commissioner, an electronic format of the returns referred to in sub-paragraphs (1) and (2), in such form and manner as may be specified by the Commissioner.";

(ii) in paragraph 39A, after the words and figure "Commissioner in Form 1", the following words shall be inserted, namely :—

"and such return shall also be submitted in electronic format in such form and manner as may be specified by the Commissioner".

[F. No. S-35012 /03/11-SS-II]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Foot Note :—The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 748(E) dated 16th November, 1995 and last amended *vide* number G.S.R.149 dated 3rd September, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2011

का.आ. 1810(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना 1976 में आगे संशोधन हेतु निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. इस योजना को कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (द्वितीय संशोधन) योजना, 2011 कहा जाएगा।

2. यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

3. कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, 1976 में,—

(i) पैराग्राफ 10 में, उप-पैराग्राफ (2) के पश्चात्, निम्नांकित उप-पैराग्राफ को शामिल किया जाएगा, अर्थात् —

"(3) प्रत्येक नियोक्ता, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति और विधि से, उप-पैराग्राफ (1), (1क) तथा (1ख) में संदर्भित विवरणियों का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आयुक्त को प्रेषित करेगा।";

(ii) पैराग्राफ 28 में, उप-पैराग्राफ (7) के पश्चात्, निम्नांकित उप-पैराग्राफ को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) प्रत्येक नियोक्ता आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति और विधि से, उप-पैराग्राफ (1) के खंड (ii), तथा उप-पैराग्राफ (4) के खंड (ii) में संदर्भित विवरणियों का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आयुक्त को प्रेषित करेगा।"

[फा. सं. एस-35012/04/11-एस एस-II]

रवि माथुर, अपर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल योजना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 28 जुलाई, 1976 के सा.का.नि. 488(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछला संशोधन दिनांक 11 फरवरी, 2011 को सा.का.नि. 83(अ) द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2011

S.O. 1810(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Second Amendment) Scheme, 2011.

2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. In the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976,—

(i) in paragraph 10, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(3) Every employer shall send to the Commissioner, an electronic format of the returns referred to in sub-paragraphs (1), (1A), and (1B), in such form and manner as may be specified by the Commissioner";

(ii) in paragraph 28, after sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(8) Every employer shall send to the Commissioner, an electronic format of the returns referred to in clause (ii) of sub-paragraph (1) and clause (ii) of sub-paragraph (4), in such form and manner as may be specified by the Commissioner.".

[F.No. S-35012/4/11-SS-II]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Foot Note :—The principal Scheme was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28th July 1976 and last amended *vide* number G.S.R. 83(E), dated the 11th February, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.